भारत संघ

बनाम

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड व अन्य

(सिविल अपील संख्या 10732-33/2017)

अगस्त 22, 2017

[रंजन गोगोई व नवीन सिंहा जे.जे.]

खेल- क्रिकेट- टेलीकास्टिंग / प्रसारण- क्रिकेट मैच या राष्ट्रीय महत्व के अन्य खेल आयोजनों का लाइव फीड- केबल ओपेरेटरों द्वारा प्रसार भारती के साथ प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा साझा किये गए संकेतों का पुनः प्रसारण- माना गया: खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत प्रसार भारती द्वारा सामग्री अधिकार मालिकों या धारकों से प्राप्त लाइव फ़ीड केवल अपने स्वयं के स्थलीय और डीटीएच नेटवर्क पर उक्त सिग्नलों के पुनः प्रसारण के उद्देश्य से है और केबल ऑपरेटरों को नहीं ताकि केबल टीवी ऑपरेटरों को ऐसे उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके जिन्होंने पहले से ही केबल नेटवर्क की सदस्यता ले ली है- खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007- धारा 3- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995- धारा 8- प्रसार भारती अधिनियम, 1990- धारा 12 (3)(सी)

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995- कानून का उद्देश्य- इन पर चर्चा की गयी।

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम 2007- कानून का उद्देश्य- इन पर चर्चा की गयी।

प्रसार भारती अधिनियम, 1990- कानून का उद्देश्य- इन पर चर्चा की गयी अपीलों को निरस्त करते हुए न्यायालय ने निर्णित किया कि -

माना: 1.1 प्रसार भारती अधिनियम की धारा 12(3)(सी),1990 प्रसार भारती को "प्रसारण के लिए खेल और अन्य आयोजनों, फिल्मों, धारावाहिकों, अवसरों, बैठकों, समारोहों या सार्वजनिक हित की घटनाओं के संबंध में कार्यक्रमों और अधिकारों या विशेषाधिकारों की खरीद या अन्यथा अधिग्रहण के लिए बातचीत करने और सेवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रमों, अधिकारों या विशेषाधिकारों के आवंटन के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करने" में सक्षम बनाता है। (पैरा 13)(490-सी)

1.2 केबल अधिनियम वर्ष 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था जो उस समय के आसपास भारत में आया था। केबल टेलीविजन भारतीय दर्शकों के लिए एक नया अनुभव था, जिन्हें रातोंरात मनोरंजन और जानकारी के विभिन्न प्रकार और रूपों वाले बड़ी संख्या में विदेशी चैनलों

तक पहुंच प्राप्त हुई। हालांकि यह सही है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क पर उपलब्ध कुछ चैनलों की सामग्री का भारतीयकरण किया गया था, लेकिन एक आशंका थी, और शायद उचित भी, कि नए चलन और उछाल से दूरदर्शन और उसके क्षेत्रीय चैनल विलुप्त हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मुद्दों पर जागरूकता का प्रसार हो सकता है। यह उस स्थायी समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है जिसके पास केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) विधेयक 1993 भेजा गया था। यही कारण है कि केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 को अधिनियमित किया गया था, अर्थात्, केबल टीवी ऑपरेटरों को देश के विकास, सरकारी नीतियों और ऐसे अन्य संबंधित मामलों से संबंधित समाचार और जानकारी उन सभी घरों तक पहुंचाने के लिए बाध्य करना, जिन्होंने केबल सेवाओं का लाभ उठाया हो। वास्तव में, केबल ऑपरेटरों द्वारा दूरदर्शन चैनलों का प्रसारण सदैव सेवाओं के किसी भी समूह का एक मानार्थ हिस्सा होता है जो एक केबल ऑपरेटर, उपभोक्ता को उपलब्ध करा सकता है। (पैरा 27)(498-सी-एफ)

1.3 दूसरी ओर, खेल अधिनियम, 2007 जो बाद में अधिनियमित हुआ, इसके अधिनियमन का उद्देश्य पूरी तरह से अलग था, यानी, प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिग्नलों को अनिवार्य रूप से साझा करना और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों को निःशुल्क प्रसारण के आधार पर बड़ी संख्या में

श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंच प्रदान करना खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3, खेल अधिनियम, 2007 को लागू करने के पीछे के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। हालांकि इस बात पर बहुत बहस हुई है कि क्या खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 प्रकृति में विनियोजनकारी है, लेकिन हमें अधिनियम के उक्त प्रावधान को ऐसी प्रकृति का मानने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि यह सामग्री अधिकार स्वामी या धारक और टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता के अधिकारों को सीमित या कम करता है, जैसा हो सकता है। खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3(2) द्वारा परिकल्पित सामग्री अधिकार स्वामी या धारक और प्रसार भारती के बीच राजस्व का बंटवारा शायद ही खेल अधिनियम, 2007 को स्वामित्व कानून की श्रेणी से बाहर निकालने की स्थिति को भुनाएगा। इसलिए, खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 की बहुत सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। न केवल हम खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के प्रावधानों में केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 में निर्धारित आवश्यकता की कोई मान्यता पाते हैं, बल्कि उक्त प्रावधान, यानी खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 की सरल भाषा यह स्पष्ट करता है कि प्रसार भारती के साथ सामग्री अधिकार स्वामी या धारक आदि पर कास्ट साझा करने का दायित्व प्रसार भारती को "अपने स्थलीय और डीटीएच नेटवर्क" पर इसे प्रसारित करने में सक्षम बनाना है। यदि विधायी मंशा खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 को अपनी भाषा में संचालित नहीं

करने बल्कि केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति देना था, तो ऐसे इरादे की कुछ अभिव्यक्ति खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 में या केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 में होती (उचित संशोधन द्वारा)। ऐसे किसी विधायी इरादे के अभाव में यह मानना ही सही होगा कि खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 में निहित किसी भी शर्त या नियम से नियंत्रित हुए बिना अपने आप संचालित होती है। कोई अन्य दृष्टिकोण, केबल अधिनियम की धारा 8 में नाजुकता लाने का प्रभाव ला सकता है, एक ऐसा परिणाम जिससे निश्चित रूप से बचा जाना चाहिए। (पैरा 28)(498-जी-एच; 499-ए-ई)

2. केबल अधिनियम की धारा 8 केबल ऑपरेटरों पर ऐसे दूरदर्शन चैनलों या संसद द्वारा या उसकी ओर से संचालित चैनलों जैसा कि, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है को ले जाने/प्रसारित करने का दायित्व लगाती है। विधायिका ने किसी विशेष चैनल को निर्दिष्ट नहीं किया है जिसे केबल ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से चलाया जाना चाहिए। यह काम केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है। इसलिए, डीडी1 (राष्ट्रीय) चैनल को प्रसारित करने के लिए केबल ऑपरेटरों पर डाली गई बाध्यता और दूरदर्शन द्वारा उक्त चैनल पर राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख खेल आयोजनों के लाइव फीड के प्रसारण को इसे विधायी आदेश के बजाय

महज़ संयोग का मामला समझना गलत नहीं होगा। काल्पनिक रूप से, केबल अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचना में अधिसूचित चैनलों से डीडी1 (राष्ट्रीय) को डीनोटिफाई करने के लिए केंद्र सरकार हमेशा खुली है । निश्चित रूप से, खेल अधिनियम की धारा 3 के प्रभाव और संचालन को केंद्र सरकार के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 के तहत प्रकाशित होने वाली अधिसूचना में डीडी 1 (राष्ट्रीय) चैनल को शामिल करना और बाद में बाहर करना या शामिल ही नहीं करना है। जहां तक निजी ऑपरेटरों के डीटीएच नेटवर्क का सवाल है, यह केबल ऑपरेटर के संचालन के अंतर्गत भी नहीं आता है। (पैरा 29) (499-एफ-एच; 500-ए)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10732-10733/2017

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के क्रमशः एल पी आई सं. 1327/2007 और रिट याचिका सं. 8458/2007 में पारित अंतिम आदेश और निर्णय दिनांकित 04-02-2015 से।

साथ

सीए नंबर 10734-10735, 10736-10737 और 10738-10739 2017 की।

अपीलकर्ता कि ओर से अधिवक्तागण; डॉ. राजीव धवन और संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता; राजीव शर्मा, साहिल भलाइक, प्रतिष्ठा कौशल, मोहम्मद राशिद सईद, विवेक सरीन, आशीष कुमार, मो. दानिश, विजय झा, फुजैल अहमद अय्यूबी।

उत्तरदाताओं कि ओर से अधिवक्तागण; कुणाल ए. चीमा, अतिरिक्त. सरकारी अधिवक्ता; निशांत आर कटनेश्वरकर, सरकारी अधिवक्ता, हरीश साल्वे, पी. चिदम्बरम, ए.एम. सिंघवी, सुधीर चंद्रा, गोपाल जैन, अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, साई कृष्णा राजगोपाल, सिद्धार्थ चोपड़ा, सुश्री स्नेहा जैन, रूबी सिंह आहूजा, सुश्री आकांशा मुंझाल, सुश्री जूलियन जॉर्ज, यतिंदर गर्ग, सुश्री कीर्ति पुजारी, मनीष कुमार, श्रेयस जैन, शिवम सिंह, गोपाल सिंह, सुश्री राधा रंगास्वामी, सुश्री रंजीता रोहतगी, प्रतीक चड्ढा, विनय त्रिपाठी, योगेश के. अहिरराव, हर्षवर्द्धन झा, युगांधरा पवार झा, आदर्श उपाध्याय।

न्यायालय का निर्णय **रंजन गोगोई, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओ को स्वीकार किया गया।

2. क्रिकेट के खेल की सटीक उत्पत्ति, हालांकि काफी हद तक अज्ञात है, कम से कम 15 वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में पाई गई है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ क्रिकेट का खेल भारत सहित दुनिया के

विभिन्न हिस्सों में फैल गया। आज, यदि भारत में कोई राष्ट्रीय खेल होना है, तो क्रिकेट निश्चित रूप से अग्रणी होगा। सभी क्रिकेट स्थलों पर खचाखच भरे स्टैंड निश्चित रूप से पूरी तस्वीर नहीं हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सभी प्रमुख क्रिकेट आयोजनों का सीधा प्रसारण देश के लाखों घरों में किया जाता है। टेलीकास्टिंग/प्रसारण अधिकार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आयोजक निकाय यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (इसके बाद "बीसीसीआई" के रूप में संदर्भित) द्वारा पट्टे पर दिए जाते हैं। ये सिग्नल (लाइव फीड) लाखों भारतीय घरों तक दूरदर्शन, केबल ऑपरेटर और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) संचालक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। देश में प्रमुख क्रिकेट आयोजनों के सीधे प्रसारण के संबंध में इन संस्थाओं के अधिकार और परिणामी राजस्व निहितार्थ, अपील के इन समूहों में उत्पन्न होने वाले मुख्य मुद्दे हैं जो निम्नलिखित परिस्थितियों में दायर किए गए हैं।

3. बीसीसीआई एक "अनुमोदित" राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसके पास देश में क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित करने का वस्तुतः एकाधिकार है। इसलिए, इन आयोजनों के प्रसारण अधिकार प्रदान करना बीसीसीआई के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बीसीसीआई के बीच अप्रैल 2012 से मार्च 2018 तक एक मीडिया अधिकार समझौता लागू है, जिसके तहत स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4574-4575

से उत्पन्न अपील मेंप्रतिवादी संख्या 4] को समझौते की अवधि के दौरान देश में होने वाले क्रिकेट कार्यक्रमों के प्रसारण का विशेष अधिकार दिया गया है।

4. बदले में, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ईएसपीएन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड [2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4574-4575 से उत्पन्न अपील में प्रतिवादी संख्या 3] को अन्य बातों के साथ-साथ, मीडिया अधिकार समझौते के अंतर्गत आने वाले सभी क्रिकेट आयोजनों के प्रसारण के लिए नियुक्त किया है।

5. खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 [इस के बाद " खेल अधिनियम, 2007" के रूप में संदर्भित] की धारा 3 के तहत, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 अपने स्थलीय और डायरेक्ट-टू-होम नेटवर्क के माध्यम से पुनः प्रसारण के लिए प्रसार भारती (जो पूर्ववर्ती दूरदर्शन के चैनल नेटवर्क का मालिक है) के साथ राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के लाइव प्रसारण संकेतों को साझा करने के लिए बाध्य हैं। उत्तरदाताओं को उपरोक्त सीमा तक लाइव फ़ीड साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में उन्होंने खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 की शक्तियों/वैधता को चुनौती नहीं दी है। जिस बात पर आपत्ति की जा रही है और इसलिए, वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाली रिट कार्यवाही में इसे चुनौती दी गई है, वह है खेल अधिनियम, 2007 की

धारा 3 के तहत प्रतिवादि संख्या 3 और 4 द्वारा प्रसार भारती के साथ साझा किए गए सिग्नलों का केबल ऑपरेटरों द्वारा लाखों अन्य दर्शकों के साथ पुनः प्रसारण, जो जरूरी नहीं कि प्रसार भारती के स्थलीय और डीटीएच नेटवर्क से जुड़े हों, लेकिन ऐसे केबल ऑपरेटरों या अन्य डीटीएच सेवा प्रदाताओं के ग्राहक हैं। केबल ऑपरेटरों द्वारा खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत प्रसार भारती द्वारा प्राप्त संकेतों का ऐसा पुनःप्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (इसके बाद "केबल अधिनियम, 1995" के रूप में संदर्भित) की धारा 8 के संचालन से होता है जिसके प्रावधान के अनुसार केबल ऑपरेटरों को अपनी केबल सेवा में ऐसे दूरदर्शन चैनलों को अनिवार्य रूप से चलाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें केबल अधिनियम की उक्त धारा 8 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। चूंकि डीडी 1 (राष्ट्रीय) उन चैनलों में से एक है जिसे केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रसारित करना अनिवार्य है (इसकी अधिकतम पहुंच के कारण) और क्रिकेट कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण, जिसे सामग्री अधिकार मालिक/धारक, खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत प्रसार भारती के साथ साझा करने के लिए बाध्य हैं, को उक्त दूरदर्शन चैनल यानी डीडी 1 (राष्ट्रीय) के माध्यम से पुनः प्रसारित किया जाता है, क्रिकेट की घटनाओं को केबल ऑपरेटरों द्वारा लाखों दर्शकों के लिए प्रसारित किया जाता है जो अन्यथा ग्राहकों से शुल्क लेते हैं। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर केबल ऑपरेटरों को उत्तरदाताओं के विशिष्ट खेल

चैनलों की सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें क्रिकेट आयोजनों का लाइव फीड निःशुल्क मिल रहा है। उपरोक्त व्यवस्था की वैधता और शुद्धता अपीलों के वर्तमान समूह का केंद्रीय मुद्दा है।

6. खेल अधिनियम की धारा 3 की उपरोक्त धारणा और परिणामी स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं, बीसीसीआई और उसके मूल अभिहस्तांकिती निंबस कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने रिट याचिका (2007 की संख्या 7655) के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर, प्रसार भारती प्रसारण निगम और भारत संघ को दूरदर्शन के स्थलीय और डीटीएच नेटवर्क पर बाद के प्रसारण के लिए पूरे भारत में दूरदर्शन केंद्रों और ट्रांसमिशन टावरों के लिए बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट मैचों के लाइव प्रसारण संकेतों के दूरदर्शन के सैटेलाइट परिवहन फ़ीड को एन्क्रिप्ट करने के निर्देश देने की मांग की। इस आशय की एक उचित घोषणात्मक राहत भी मांगी गई थी कि कोई भी टेलीविजन नेटवर्क, डीटीएच नेटवर्क, मल्टीसिस्टम नेटवर्क या स्थानीय केबल ऑपरेटर सामग्री अधिकार मालिकों/धारक से लाइसेंस के बिना ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं कर सकता है। उक्त रिट याचिका (संख्या 7655/2007) को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल पीठ ने मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मामला नीति से संबंधित है और इसलिए, न्यायिक पहुंच

और जांच से परे है। व्यथित होकर एलपीए संख्या 1327/ 2007 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी।

7. खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 को रद्द करने के लिए, जहां तक यह क्रिकेट टेस्ट मैचों से संबंधित है, और केंद्र सरकार द्वारा जारी 13 सितंबर, 2000 की अधिसूचना जिसमें केबल ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रसारित किए जाने वाले अनिवार्य चैनलों के रूप में डीडी1 (राष्ट्रीय) चैनल और डीडी (न्यूज) चैनल को अधिसूचित किया गया को भी रद्द करने के लिए बीसीसीआई और उसके पूर्व समनुदेशिती निंबस द्वारा शुरू में रिट याचिका (नंबर 8458 ऑफ 2007) दायर की गई थी। उसी रिट याचिका (संख्या 8458/2007) में क्रिकेट के संबंध में उल्लिखित खेल आयोजनों को राष्ट्रीय महत्व का बताने वाली 3 जुलाई, 2007 और 19 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई थी। भारत सरकार के 29.05.2007 के आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसके द्वारा डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस समझौते में खंड 7.9 जोड़ा गया था। खण्ड 7.9 निम्नलिखित शर्तों में है:

> "लाइसेंसधारी अपनी डीटीएच सेवाओं में उन टीवी चैनलों को साथ रखेगा या शामिल करेगा जिन्हें संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य और अनिवार्य प्रसारण

के लिए अधिसूचित किया गया है, ऐसा न करने पर लाइसेंसकर्ता इस अनुबंध के खंड 20.1 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

8. तत्पश्चात, ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लिमिटेड और स्टार इंडिया प्रा. लिमिटेड को अप्रैल 2012 से मार्च 2018 तक प्रभावी मीडिया अधिकार समझौते, जैसा कि ऊपर बताया गया है, के मद्देनजर उपरोक्त रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता संख्या 3 और 4 के रूप में शामिल किया गया था।

9. उपरोक्त अपील (एलपीए संख्या 1327 का 2007) और रिट याचिका (संख्या 8458 का 2007) को डिवीजन बेंच ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुमति दी थी की खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 और केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 के प्रावधानों की व्याख्या के अनुसार प्रसार भारती द्वारा उत्तरदाताओं से प्राप्त सिग्नलों को निर्दिष्ट दूरदर्शन चैनलों में नहीं रखा जाना चाहिए, जिन्हें केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 के तहत केबल ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रसारित किया जाना है। व्यथित होकर भारत संघ, प्रसार भारती, होम केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और सोपान फाउंडेशन द्वारा वर्तमान अपीलें दायर की गई हैं।

10. हमने भारत संघ और प्रसार भारती की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी (जैसा कि वह तब थे), स्टार

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित सर्व श्री हरीश साल्वे, पी. चिदम्बरम, संजय हेगड़े, ए.एम. सिंघवी, सुधीर चंद्रा, गोपाल जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, होम केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और सोपान फाउंडेशन की ओर से उपस्थित डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और बीसीसीआई की ओर से उपस्थित श्री अमित सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना।

11. शुरुआत में, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (इसके बाद "प्रसार भारती अधिनियम, 1990" के रूप में संदर्भित), खेल अधिनियम, 2007 और केबल अधिनियम, 1995 के तहत प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को संदर्भित करना और जहां भी आवश्यक हो, निकालना उचित होगा और विचाराधीन अधिनियमों के पीछे के उद्देश्य पर भी ध्यान देना उचित होगा ।

12. प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 3 के तहत, प्रसार भारती को पूर्ववर्ती आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक निगम के रूप में स्थापित किया गया है। प्रसार भारती अधिनियम की धारा 12 के तहत निगम का प्राथमिक कर्तव्य जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को व्यवस्थित और संचालित करना और रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। प्रसार

भारती अधिनियम, 1990 की धारा 12(2)(ई) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि प्रसार भारती को अन्य बातों के साथ-साथ "खेलों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना को प्रोत्साहित किया जा सके" के उद्देश्य से निर्देशित किया जाएगा। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसार भारती के निगमन के पीछे एक मुख्य उद्देश्य पहले से ही देखे गए उद्देश्यों के लिए खेल और खेलों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना है।

13. प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 12(3)(सी) में निहित प्रावधानों के बारे में आगे दी गई दलीलों के आलोक में, जिस पर बाद में ध्यान दिया जाएगा, विशेष नोटिस लेने की आवश्यकता होगी, जो प्रसार भारती को "प्रसारण के लिए खेल और अन्य आयोजनों, फिल्मों, धारावाहिकों, अवसरों, बैठकों, समारोहों या सार्वजनिक हित की घटनाओं के संबंध में कार्यक्रमों और अधिकारों या विशेषाधिकारों की खरीद या अन्यथा अधिग्रहण के लिए बातचीत करने और सेवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रमों, अधिकारों या विशेषाधिकारों के आवंटन के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करने" में सक्षम बनाता है।

14. अब हम केबल अधिनियम, 1995 के प्रावधानों की ओर रुख कर सकते हैं। जैसा कि प्रस्तावना में दर्शाया गया है, केबल अधिनियम,

1995 का उद्देश्य देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों को विनियमित करना है।

15. केबल अधिनियम, 1995 की धारा 3 केबल टेलीविजन नेटवर्क संचालित करने के लिए केबल ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता निर्धारित करती है। धारा 2(aiii) निम्नलिखित शब्दों में "केबल ऑपरेटर" को परिभाषित करती है।

> "2 (क iii) "केबल आपरेटर" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल सेवा प्रदान करता है या उसका अन्यथा नियंत्रण करता है या जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंध और प्रचालन के लिए उत्तरदायी है और विहित पात्रता मानदंड और शर्तों को पूरा करता है।"

16. 25 अक्टूबर, 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2011 के अधिनियम संख्या 21 द्वारा संशोधित केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 निम्नलिखित है:

> "**8.** कुछ चैनलों का अनिवार्य प्रसारण-(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केबल ओपेरेटरों द्वारा उनकी केबल सेवा में अनिवार्य रूप से दिखाए जाने वाले दूरदर्शन

के चैनलों या संसद् द्वारा या उसकी ओर से प्रचालित चैनलों के नाम और ऐसे चैनलों के अभिग्रहण और पुनः प्रसारण की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी:"

परंतु ऐसे क्षेत्रों में, जहां धारा 4क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अंकीय संबोध्य प्रणाली आरम्भ नहीं की गई है, वहां जहां तक, प्राइम बैंड से संबंधित अधिसूचना का संबंध है, वह दूरदर्शन के दो स्थलीय चैनलों और उस राज्य की, जिसमें केबल आपरेटर का नेटवर्क अवस्थित है, प्रादेशिक भाषा के एक चैनल तक सीमित होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चैनलों को ऐसे चैनलों पर प्रसारण किसी कार्यक्रम के किसी विलोपन या परिवर्तन के बिना पुनः प्रसारण किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी, उपधारा (1) के अनुसरण में 25 उक्तूबर, 2011 के पूर्व केन्द्रीय सरकार या प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) द्वारा जारी कोई अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचनाओं को विखंडित या संशोधित किए जाने तक प्रर्वतन में रहेंगी ।

इसके संशोधन से पहले, धारा 8 निम्नलिखित शर्तों में थी:

"8. दूरदर्शन चैनलों का अनिवार्य प्रसारण.-(1) प्रत्येक केबल ऑपरेटर पुनः प्रसारण करेगा,--

(i) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके और नाम से संसद द्वारा या उसकी ओर से संचालित चैनल;

(ii) प्राइम बैंड में कम से कम दो दूरदर्शन स्थलीय चैनल और राज्य का एक क्षेत्रीय भाषा चैनल, स्थलीय आवृत्तियों को ले जाने वाली आवृत्तियों के अलावा अन्य आवृत्तियों पर उपग्रह मोड में।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चैनलों को ऐसे चैनलों पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम को हटाए या बदले बिना पुनः प्रसारित किया जाएगा।

(3) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केबल ऑपरेटरों द्वारा उनकी केबल सेवा में पुनः प्रसारित किए जाने वाले प्रत्येक दूरदर्शन चैनल की संख्या और नाम और ऐसे चैनलों के स्वागत और पुनः प्रसारण के तरीके को निर्दिष्ट कर सकता है।"

केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 केंद्र सरकार को दूरदर्शन चैनलों या संसद द्वारा या उसकी ओर से संचालित चैनलों के नाम निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है, जिन्हें केबल ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रसारित किया जाना आवश्यक है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, 13 सितंबर, 2000 की अधिसूचना द्वारा, डीडी1 (राष्ट्रीय) चैनल और डीडी (समाचार) चैनल और एक क्षेत्रीय चैनल को केबल ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से चलाने के लिए अधिसूचित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8(1) के तहत कुछ अनुवर्ती अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं, जो 5 सितंबर, 2013 को जारी की गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना की कोई विशेष सूचना लेने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि तथ्यात्मक रूप से और कानून की दृष्टि से स्थिति अलग नहीं है।

17. वैधानिक प्रावधानों का अगला सेट, जिस पर इस स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, वे खेल अधिनियम, 2007 में पाए जाएंगे। खेल अधिनियम, 2007 की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि इसे "प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण-संकेतों को अनिवार्य रूप से साझा करने के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के लिए नि:शुल्क प्रसारण के आधार पर बड़ी संख्या में श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंच प्रदान करने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों तक पहुंच प्रदान करने के

लिए" अधिनियमित किया गया है। खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3, जिसके प्रावधान के दायरे और चौड़ाई पर मुख्य तर्क आगे बढ़ाए गए हैं ताकि न्यायालय केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8(1) के प्रावधानों और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के आलोक में उसके वास्तविक दायरे और उद्देश्य को निर्धारित करने में सक्षम हो सके, जो निम्नलिखित शर्तों में है:

> “3. कतिपय खेल प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी-
>
> (1) कोई भी अंतर्वस्तु अधिकार का स्वामी या धारक और कोई भी टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता, भारत में किसी केबल पर या डायरेक्ट-टू-होम नेटवर्क या रेडियो पर व्याख्यात्मक वर्णन के प्रसारण पर, राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों का सीधा प्रसारण तभी करेगा, जब वह एक साथ प्रसार भारती के साथ, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके स्थलीय नेटवर्कों और डायरेक्ट-टू-होम नेटवर्कों पर उनका पुनः प्रसारण करने में उसे समर्थ बनाने के लिए, अपने विज्ञापनों के बिना, सीधे प्रसारण सिगनलों में हिस्सेदारी करे ।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन निबंधन और शर्तें यह भी उपबंध करेंगी कि अंतर्वस्तु अधिकार के स्वामी या धारक और प्रसार भारती के बीच टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र के मामले में

विज्ञापन राजस्व का बंटवारा 75: 25 और रेडियो प्रसारण क्षेत्र के मामले में 50: 50 से अन्यून अनुपात में होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) के अधीन प्रसार भारती द्वारा प्राप्त राजस्व का कुछ प्रतिशत विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसका उपयोग प्रसार भारती द्वारा अन्य खेल आयोजनों के प्रसारण पर किया जाएगा। (जोर दिया गया)"

18. इस स्तर पर, हम खेल अधिनियम, 2007 की धारा 2 में निहित निम्नलिखित परिभाषाओं पर भी ध्यान दे सकते हैं:

धारा 2-परिभाषाएँ

1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क).....

xxx

(ग) प्रसारण सेवा" से संचार अंतर्वस्तु का समायोजन करना, कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें विनिर्दिष्ट आवृत्तियों पर वैद्युत-चुंबकीय तरंगों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना और उसे प्रसारण नेटवर्क या नेटवर्क के माध्यम से निरंतर प्रसारण करना अभिप्रेत है जिससे सभी या किन्हीं विविध-

उपयोगकर्ताओं को अपनी अभिग्राही युक्तियों को अपने संबंधित प्रसारण नेटवर्कों से जोड़कर अपनी पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाया जा सके और उसके अंतर्गत अंतर्वस्तु प्रसारण सेवाएं और प्रसारण नेटवर्क सेवाएं भी हैं;

(घ) प्रसारण नेटवर्क सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो विविध-उपयोगकर्ताओं को पथ-निर्धारित या अपथ-निर्धारित वैद्युत-चुंबकीय तरंगों के माध्यम से विनिर्दिष्ट आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारण अंतर्वस्तु को ले जाने के लिए केबलों या पारेषण युक्तियों की अवसंरचना का नेटवर्क प्रदान करती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी का प्रबंध और प्रचालन भी हैः-

(i) टेलीपोर्ट/हब/भू-केन्द्र;

(ii) डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण नेटवर्क;

(iii) बहु-प्रणाली केबल टेलीविजन नेटवर्क;

(iv) स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क;

(v) उपग्रह रेडियो प्रसारण नेटवर्क;

(vi) ऐसी कोई अन्य नेटवर्क सेवा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;

xxx

(च) केबल टेलीविजन नेटवर्क" से ऐसी कोई प्रणाली अभिप्रेत है जो संवृत पारेषण पथ के किसी सैट और सहचरी सिगनल जनन, नियंत्रण और वितरण उपस्कर से मिलकर बनी है जो विविध अभिदाताओं द्वारा अभिग्रहण किए जाने के लिए और टेलीविजन चैनलों या कार्यक्रमों को प्राप्त करने तथा उन्हें पुनः प्रसारण करने के लिए अभिकल्पित किया गया है;

xxx

(ञ) डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो किसी अभिदाता के परिसर में कार्यक्रमों को किसी मध्यवर्ती जैसे कि केबल ऑपरेटर के माध्यम से वितरित न करके उपग्रह प्रणाली के अपलिंकिंग के द्वारा बहु-चैनल से वितरित की जाती है;

xxx

(ध) राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजन" से ऐसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन अभिप्रेत हैं, जो भारत या भारत से बाहर आयोजित किए गए हों और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व के अधिसूचित किए जाएं;

xxx

(न) स्थलीय टेलीविजन सेवा" से ऐसी टेलीविजन प्रसारण सेवा अभिप्रेत है जो स्थलाधारित ट्रांसमीटर का उपयोग करके वायु द्वारा प्रदान की जाती है और जनता द्वारा अभिग्राही सेटों के माध्यम से सीधे प्राप्त की जाती है;

19. उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत, कोई भी सामग्री अधिकार स्वामी या धारक और कोई भी टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों का भारत में किसी भी केबल या डीटीएच नेटवर्क या रेडियो कमेंट्री प्रसारण पर सीधा टेलीविजन प्रसारण नहीं कर सकता है, जब तक कि वह अपने विज्ञापनों के बिना लाइव प्रसारण सिग्नल को प्रसार भारती के साथ साझा नहीं करता है, ताकि वे इसे अपने स्थलीय नेटवर्क और डायरेक्ट-टू-होम नेटवर्क पर ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं फिर से प्रसारित करने में सक्षम हो सकें।

20. दूसरी ओर, केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8(1) में एक विधायी आदेश देती है कि प्रत्येक केबल टेलीविजन ऑपरेटर को अपने नेटवर्क पर ऐसे दूरदर्शन चैनल या संसद द्वारा या उसकी ओर से संचालित चैनल चलाने की आवश्यकता होती है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है। ऊपर देखे गए दो

प्रावधानों के संयुक्त संचालन से निकलने वाला वास्तविक कानूनी प्रभाव क्या है, यह विवादास्पद प्रश्न है।

21. दिए गए तर्कों का, बहुत संक्षेप में ही सही, अब वर्णन किया जा सकता है। चूँकि उच्च न्यायालय ने, चुनौती के अधीन आदेश में, प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को व्यापक रूप से दर्ज किया है और चूँकि हमारे सामने दी गई दलीलें मूलतः पुनरावृत्ति हैं, हमारे सामने जो तर्क दिया गया था उसका एक संक्षिप्त पुनर्कथन पर्याप्त होगा।

22. श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान अटॉर्नी जनरल (जैसा कि वह तब थे) जिन्होंने अपीलकर्ता (भारत संघ) के मामले में मुख्य रूप से बहस की है [2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4574-4575 से उत्पन्न सिविल अपील] ने अभिकथित किया है कि प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अधिनियमन द्वारा प्रसार भारती के निर्माण के पीछे का उद्देश्य, जैसा कि इसके प्रावधानों से स्पष्ट है, जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को व्यवस्थित और संचालित करना है, अन्य बातों के अलावा, खेल-कूद को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। यह तर्क दिया जाता है कि प्रसार भारती अधिनियम, 1990 का उद्देश्य अधिकतम नागरिकों तक पहुंचना और देश के दूरदराज के गांवों और बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को समाचार और

सूचना तक पहुंच प्रदान करना है। इसी प्रकार, खेल अधिनियम, 2007 को लागू करने के पीछे का उद्देश्य बड़ी संख्या में श्रोताओं और दर्शकों को निःशुल्क प्रसारण के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों तक पहुंच प्रदान करना है। उपरोक्त प्रकाश में खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 और केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 के प्रावधानों को समझा जाना चाहिए। श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त प्रावधानों को केवल प्रसार भारती के स्थलीय और डीटीएच नेटवर्क पर सामग्री मालिकों द्वारा प्रसाद भारती के साथ अनिवार्य रूप से साझा किए गए लाइव सिग्नल के पुन: प्रसारण तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। श्री रोहतगी के अनुसार, ऐसा कोई भी दृष्टिकोण प्रतिकूल होगा और खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के आदेश के विरुद्ध होगा। यह तर्क देने के लिए खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 की उप-धारा (2) के प्रावधानों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है किप्रसार भारती के साथ लाइव फ़ीड साझा करने की अनिवार्य आवश्यकता के कारण सामग्री अधिकार मालिकों/धारक को होने वाले राजस्व के संभावित नुकसान का खेल अधिनियम, 2007 के धारा 3 की उप-धारा (2) में निहित राजस्व की व्यवस्था की योजना द्वारा पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया है। ऐसा आग्रह किया गया है कि उपरोक्त के आलोक में केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 के प्रावधानों को समझा जाना चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि केबल अधिनियम, 1995 खेल अधिनियम, 2007 के अधिनियमन से पहले का है, खेल अधिनियम,

2007 की धारा 3 में ऐसे विधायी इरादे के किसी भी स्पष्ट संकेत के अभाव में, केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 को खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के अधिनियमन द्वारा कम कर दिया गया नहीं समझा जाना चाहिए। वास्तव में, श्री रोहतगी के अनुसार, केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 द्वारा केबल ऑपरेटरों पर लगाया गया अनिवार्य शुल्क जनता तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक और कदम है जो स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि दोनों अधिनियमों के प्रावधान एक-दूसरे को प्रभावित किए बिना अपने-अपने क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं।

23. होम केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और सोपान फाउंडेशन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन ने भी अपीलकर्ता के मामले में विस्तार से और, विशेष रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(एल)(ए) के प्रावधानों के उल्लंघन के सवाल पर बहस की थी, पहलू जिस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे।

24. प्रतिवादीगण की ओर से, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित श्री हरीश साल्वे, पी. चिदम्बरम, डॉ. एएम सिंघवी, सुधीर चंद्रा, गोपाल जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और बीसीसीआई की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल द्वारा अलग-अलग दलीलें दी गईं। यह तर्क दिया गया है कि मीडिया अधिकार समझौते के तहत प्रतिवादी संख्या 3 और 4 (ईएसपीएन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के अधिकारों का वर्तमान मामले में गंभीर उल्लंघन होगा यदि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अबाधित छोड़ दिया जाए। हालाँकि ऐसे अधिकार कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 37 (अध्याय VII) के तहत आ सकते हैं, यह तर्क दिया गया है कि क्रिकेट मैचों का प्रसारण कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अर्थ के तहत एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म के निर्माण की तरह है। आयोजक के रूप में बीसीसीआई कॉपीराइट का लेखक है जिसने इसे स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा है। खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत उक्त अधिकार में वैधानिक कटौती है, जिसकी सीमा को उक्त प्रावधान की स्पष्ट रूपरेखा तक ही सीमित समझा जाना चाहिए जिसे आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता है। कोई भी अनुचित विस्तार प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के कॉपीराइट/प्रसारण अधिकार का उल्लंघन होगा। कानून अपने चरित्र में स्वामित्वाधीन है। इसलिए, इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर विस्तृत केस कानून का संदर्भ बहुत विस्तृत तर्कों में दिया गया है। तदनुसार यह बताया गया है कि सामग्री अधिकार स्वामी/धारक के कॉपीराइट/प्रसारण अधिकार में कटौती सीमित है और यह 'साझा करना होगा' दायित्व की सीमा तक है, जो खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 की स्पष्ट भाषा के अनुसार दूरदर्शन के स्थलीय और डीटीएच नेटवर्क के माध्यम से प्रसार भारती द्वारा लाइव फीड को पुनः प्रसारित करने में सक्षम बनाता है। यह आग्रह किया गया कि केबल अधिनियम,

1995 की धारा 8(1) में 'must carry' दायित्व शामिल है और इस तरह के 'must carry' दायित्व खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 में निहित 'साझा करना होगा' जनादेश के दायरे का विस्तार नहीं कर सकता है। धारा 3 खेल अधिनियम, 2007 में प्रदर्शित होने वाले शब्दों "इसके स्थलीय नेटवर्क और डायरेक्ट-टू-होम नेटवर्क" पर जोर दिया गया है, यह तर्क देने के लिए कि 'अवश्य साझा करें' जनादेश को प्रसार भारती को केवल अपने स्थलीय और डीटीएच नेटवर्क पर पुनः प्रसारित करने में सक्षम बनाने के लिए समझा जाना चाहिए। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विशेष रूप से तर्क दिया गया कि स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रसारण/प्रसारण अधिकारों के प्रति 3000 करोड़ से अधिक की भारी राजस्व राशि का भुगतान किया गया है, जिन्हें पूर्ण प्रभाव की अनुमति दी जानी चाहिए और ऐसे अधिकार के प्रयोग में कोई भी प्रतिबंध, यदि है भी, तो केवल खेल अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सीमा तक ही लागू हो सकता है।

25. बीसीसीआई की ओर से, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल ने विशेष रूप से तर्क दिया है कि खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 का उसकी सामान्य भाषा से परे कोई भी विस्तारित अर्थ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बीसीसीआई के अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह तर्क देने के लिए कई उदाहरणों का हवाला दिया गया है कि संविधान

के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अधिकार सूचना प्राप्त करने तक भी विस्तारित होगा। जबकि अनुच्छेद 19(1)(ए) का दायरा निश्चित रूप से व्यापक है जिसमें सूचना की प्राप्ति भी शामिल है, यह श्री सिब्बल के उपरोक्त तर्क के संदर्भ में है कि अब हम वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन द्वारा बड़ी ताकत के साथ रखे गए संक्षिप्त तर्क को दोबारा दोहरा सकते हैं। इसका आशय यह है कि, वर्तमान मामले में बीसीसीआई का यह तर्क नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जहां तक संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के प्रावधानों का सवाल है, डॉ. धवन ने तर्क दिया है कि, वर्तमान में, केक का टुकड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है; लेकिन यह तर्क दिया गया है कि यह किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) को आकर्षित नहीं करेगा। हम डॉ.धवन से सहमत हैं।

26. आगे बढ़ते हुए, हम यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि वर्तमान मामले के लिए यह आवश्यक नहीं है और इसलिए, हम धारा 37 द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्रकृति के संबंध में पार्टियों द्वारा उठाए गए प्रश्न पर जाने का इरादा नहीं रखते हैं, अर्थात्, क्या क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण सिनेमैटोग्राफ फिल्म के निर्माण के बराबर है जो लेखक और उसके समनुदेशिती को वही अनुलंघनीय अधिकार प्रदान करता है जो कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधान कॉपीराइट धारक को प्रदान करते हैं। बल्कि, हमारा

विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और उसमें उत्पन्न होने वाले मुद्दे का उत्तर देने के लिए किसी क्रिकेट मैच या राष्ट्रीय महत्व के अन्य खेल आयोजनों के लाइव फ़ीड में सामग्री अधिकार स्वामी/धारक के अधिकार के अस्तित्व को स्वीकार करना पर्याप्त होगा।वास्तविक मुद्दा केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 के साथ पठित खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के प्रावधानों के आधार पर उक्त अधिकार के विस्तार और उसमें कटौती की डिग्री में से एक है, मामले के जिस पहलू पर हम अब विचार करेंगे।

27. केबल अधिनियम वर्ष 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था जो उस समय के आसपास भारत में आया था। केबल टेलीविजन भारतीय दर्शकों के लिए एक नया अनुभव था, जिन्हें रातोंरात मनोरंजन और जानकारी के विभिन्न प्रकार और रूपों वाले बड़ी संख्या में विदेशी चैनलों तक पहुंच प्राप्त हुई। हालांकि यह सही है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क पर उपलब्ध कुछ चैनलों की सामग्री का भारतीयकरण किया गया था, लेकिन एक आशंका थी, और शायद उचित भी, कि नए चलन और उछाल से दूरदर्शन और उसके क्षेत्रीय चैनल विलुप्त हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मुद्दों पर जागरूकता का प्रसार हो सकता है। यह उस स्थायी समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है जिसके पास केबल टीवी नेटवर्क

(विनियमन) विधेयक 1993 भेजा गया था। यही कारण है कि केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 को अधिनियमित किया गया था, अर्थात्, केबल टीवी ऑपरेटरों को देश के विकास, सरकारी नीतियों और ऐसे अन्य संबंधित मामलों से संबंधित समाचार और जानकारी उन सभी घरों तक पहुंचाने के लिए बाध्य करना, जिन्होंने केबल सेवाओं का लाभ उठाया हो। वास्तव में, केबल ऑपरेटरों द्वारा दूरदर्शन चैनलों का प्रसारण सदैव सेवाओं के किसी भी समूह का एक मानार्थ हिस्सा होता है जो एक केबल ऑपरेटर, उपभोक्ता को उपलब्ध करा सकता है।

28. दूसरी ओर, खेल अधिनियम, 2007 जो बाद में अधिनियमित हुआ, इसके अधिनियमन का उद्देश्य पूरी तरह से अलग था, यानी, प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिग्नलों को अनिवार्य रूप से साझा करना और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों को निःशुल्क प्रसारण के आधार पर बड़ी संख्या में श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंच प्रदान करना। खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 खेल अधिनियम, 2007 को लागू करने के पीछे के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। हालांकि इस बात पर बहुत बहस हुई है कि क्या खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 प्रकृति में विनियोजनकारी है, लेकिन हमें अधिनियम के उक्त प्रावधान को ऐसी प्रकृति का मानने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि यह सामग्री अधिकार

स्वामी या धारक और टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता के अधिकारों को सीमित या कम करता है, जैसा हो सकता है। खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3(2) द्वारा परिकल्पित सामग्री अधिकार स्वामी या धारक और प्रसार भारती के बीच राजस्व का बंटवारा शायद ही खेल अधिनियम, 2007 को स्वामित्व कानून की श्रेणी से बाहर निकालने की स्थिति को भुनाएगा। इसलिए, खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 की बहुत सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। न केवल हम खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के प्रावधानों में केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 में निर्धारित आवश्यकता की कोई मान्यता पाते हैं, बल्कि उक्त प्रावधान, यानी खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 की सरल भाषा यह स्पष्ट करता है कि प्रसार भारती के साथ सामग्री अधिकार स्वामी या धारक आदि पर कास्ट साझा करने का दायित्व प्रसार भारती को "अपने स्थलीय और डीटीएच नेटवर्क" पर इसे प्रसारित करने में सक्षम बनाना है। यदि विधायी मंशा खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 को अपनी भाषा में संचालित नहीं करने बल्कि केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति देना था, तो ऐसे इरादे की कुछ अभिव्यक्ति खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 में या केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 में होती (उचित संशोधन द्वारा)। ऐसे किसी विधायी इरादे के अभाव में यह मानना ही सही होगा कि खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 में निहित किसी भी शर्त या नियम से नियंत्रित हुए

बिना अपने आप संचालित होती है। कोई अन्य दृष्टिकोण, केबल अधिनियम की धारा 8 में नाजुकता लाने का प्रभाव ला सकता है, एक ऐसा परिणाम जिससे निश्चित रूप से बचा जाना चाहिए।

29. केबल अधिनियम की धारा 8 केबल ऑपरेटरों पर ऐसे दूरदर्शन चैनलों या संसद द्वारा या उसकी ओर से संचालित चैनलों जैसा कि, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है को ले जाने/प्रसारित करने का दायित्व लगाती है। विधायिका ने किसी विशेष चैनल को निर्दिष्ट नहीं किया है जिसे केबल ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से चलाया जाना चाहिए। यह काम केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है। इसलिए, डीडी1 (राष्ट्रीय) चैनल को प्रसारित करने के लिए केबल ऑपरेटरों पर डाली गई बाध्यता और दूरदर्शन द्वारा उक्त चैनल पर राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख खेल आयोजनों के लाइव फीड के प्रसारण को इसे विधायी आदेश के बजाय महज़ संयोग का मामला समझना गलत नहीं होगा। काल्पनिक रूप से, केबल अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचना में अधिसूचित चैनलों से डीडी1 (राष्ट्रीय) को डीनोटिफाई करने के लिए केंद्र सरकार हमेशा खुली है । निश्चित रूप से, खेल अधिनियम की धारा 3 के प्रभाव और संचालन को केंद्र सरकार के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि केबल अधिनियम, 1995 की धारा 8 के तहत प्रकाशित होने वाली अधिसूचना में डीडी 1 (राष्ट्रीय) चैनल को शामिल करना और बाद में बाहर करना या शामिल ही

नहीं करना है। जहां तक निजी ऑपरेटरों के डीटीएच नेटवर्क का सवाल है, यह केबल ऑपरेटर के संचालन के अंतर्गत भी नहीं आता है।

30. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त हमारे निष्कर्ष, प्रसार भारती अधिनियम की धारा 12(3)(सी) के तहत अपीलकर्ता के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं, यदि वांछित हो तो अधिकार हमेशा प्रयोग के लिए उपलब्ध रहते हैं।

31. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि खेल अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत प्रसार भारती द्वारा सामग्री अधिकार मालिकों या धारकों से प्राप्त लाइव फ़ीड केवल अपने स्वयं के स्थलीय और डीटीएच नेटवर्क पर उक्त सिग्नलों के पुन: प्रसारण के उद्देश्य से है, और केबल ऑपरेटरों को नहीं ताकि केबल टीवी ऑपरेटरों को ऐसे उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके जिन्होंने पहले से ही केबल नेटवर्क की सदस्यता ले ली है।

32. उपरोक्त कारणों से सभी अपीलें विफल हो जायेंगी। तद्नुसार उन्हें ख़ारिज किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 4 फरवरी 2015 की पुष्टि की जाती है।

देविका गुजराल

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऊर्मि व्यास (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः यह निणर्य पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किसी जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।